तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
3.1.24	पत्रावली पेश हुई । वकील पक्षकारान उपस्थित है। पूर्व दिये गए आदेश की पालना हेतु अवसर चाहा अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 25-1-24 को पेश हो । (हस्ताक्षर)
25.1.24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० है। तहसीलदार मैनवां का जवाब प्राप्त नही हुआ है। जवाब बन्द किया जाता है। सीधी बहस प्रा०पत्र ट.इ. सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 31.1.24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
31.1.24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० है। बहस प्रा०पत्र ट.इ. मे वकील पक्षकारान द्वारा दिये गए तर्कों पर मनन किया। विवादित भूमि वन विभाग जगंलात की भूमि है। जिस पर प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार साबित नही होता है। अप्रार्थीगण भूमि के राजकीय संरक्षक होने के कारण सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी अप्रार्थीगण के पक्ष मे है। अतः न्यायालय प्रार्थीगण के प्रा०पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने के आदेश देता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न होवे। (हस्ताक्षर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.07 13:23:42 IST
Reason: SelfAttested